

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 311/2024

शिव कुमार पुत्र श्री राजाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

बनाम्

- वादी

राजाराम पुत्र श्री निकुराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
प्रियंका पुत्री श्री राजाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
अनिता पुत्री श्री राजाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :-

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष
वास्तु फिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादी मिन जामिन
मुद्दे श्री महावीर बेरड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर
हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के
पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 12 एम.जे.डी. के खाता सं.
80/59 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में 1.176 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार
काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार
चक 12 एम.जे.डी. के खाता सं. 123/26 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में 0.759
है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम
कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद
मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज/..... निल/..... मुब्लिक/.....निल/..... बाबत्/.....
निल...../..... खर्चा मुकदमें के मयशुदं वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
वसूलयाबी तक/.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 24.6.2024 को
जारी किया जाता है।



(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
संगरिया